न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/162

1. मुकेश कुमार पुत्र लादू जाति रैगर निवासी ग्राम पिपलाई (नीमूचाना) तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर आदेश दिनांक 28.01.2022 मुकदमा राजस्व/नारा 2021/322

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 28.01.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाक़े ग्राम पिपलाई (नीमूचाना) तहसील नारायणपुर जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 253, 263, 262, 270 एवं 271 के संबंध में तहसीलदार नारायणपुर के प्रस्ताव के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर द्वारा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 28.01.2022 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर दिनांक 28.01.2022 अपीलांट के खसरा नम्बर 270 एवं 271 की हद तक निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पिपलाई (नीमूचाना) तहसील नारायणपुर जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 253, 263, 262, 270 एवं 271 भूमि के संबंध में तहसीलदार नारायणपुर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। खसरा नंम्बर 270 एवं 271के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता पृथक से अंकन कर रास्ता दर्ज करने के पारित किये गये। जबकि किसी खातेदार को यदि नये रास्ते की आवश्यकता हो तो वह रास्ते के सम्बंध में कानूनी प्रावधान 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र है । अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 270 एवं 271 के बाबत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित न्यायिक क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये अपीलार्थीगण प्रभावित भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया, ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में खातेदारों ने कोई सहमति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी अवस्था में ऐसा आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता था इसलिये ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की तोहीन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66, एंव 86 में वर्णित प्रावधानो तथा उन पर प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय पूर्णत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किया है जो पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का उपहास है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक ने जो फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 को तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाई है वो एक पक्षीय रिपोर्ट है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 अपीलांट्स की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अवलोकन करते हुये रिमाण्ड फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नारायणपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता स्थाई, मौके पर चालू एवं सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। मौके पर उक्त कच्चे रास्ते की लम्बाई लगभग 440 मीटर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट खसरा नम्बर 270 एवं 271 के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाराणपुर जिला अलवर द्वारा ग्राम पिपलाई (नीमूचाना) तहसील नारायणपुर जिला अलवर स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 270 एवं 271 के संबंध में तहसीलदार नारायणपुर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर प्रभावित खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 28.01.2022 को दिये गये हैं। चूंकि अपीलार्थी खसरा नम्बर 270 एवं 271 का रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपीलार्थी को कोई सुनवाई, सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना उसकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करना नैसर्गिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण विधिसम्मत् नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाराणपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई व

जयपुर

साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समक्षते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 28.01.2022 अपीलांट के खसरा नम्बर 270 एवं 271 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर रिकार्ड व मौके का सही अवलोकन करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर